

## उत्तर प्रदेश माईक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट (UPMIP)

## पर ड्राप मोर क्राप - माइक्रोइरीगेशन योजनान्तर्गत



## सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाने का आवेदन पत्र

यह फ़ार्म नि:शुल्क उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उत्तर प्रदेश सरकार

1

2

अनु. संख्या

1

2

4.1

4.2

4.3

4.4

5.0

अनु संख्या

1

	<b>शुल्क है</b> करण विभाग रकार	केवल कार्यालय हेतु													
नि:श् प्रसंस		आवेदन का स्त्रोत :-													
श स		लाभार्थी का प्रकार :-													
		विश्वादार्थ ।					आवेदन पंजीकरण						यहाँ कृषक की फ़ोटो चिपकाएँ		
							करनेवाले का हस्ताक्षर  आवेदन पंजीकरण करने								
		Repeat Case Completed of Seven					की दिनांक								
		Year of	Reg. No.:			अभीलेखो की जांच									
								करने वाले का हस्ताक्षर							
					कृषक व	द्वारा भर	न वाल	ा विवर	ण						
		_	ा विवरण / नि	विदन							-				
कृषक का नाम :- जाति :-															
जन्म तिथि :- आयु वर्ष :- लिंग पुरुष/महिला :-															
_			आधारकार्ड	से जुड़े	बैंक ख	ाते की प	जानकार								
आध	आधार कार्ड सं.														
बैंक	बैंक का नाम शाखा का नाम														
IFSC कोड सं. MICR कोड सं.															
भूगि	मे एवम फर	सल का	विवरण :												
नु. या	गाँव	का नाम	विकास	विकास खण्ड			aiam.	क्षेत्रफर	ल वर्तमान प			र्तमान फ़र	फ़सलें		
41		401 1101				खसरा	सख्या	(हेक्टेय	:यर)	ख़रीफ़		रबी		जायद	
<u> </u>															
			कुल क्षेत्रफल	(हेक्टेयर	)										
	जल श्रोत	की जान	कारी अन्य (१	थ्रोत अवः	१य लिखे)										
	कुआँ / नलकूप हो तो उस खेत का खसरा संख्या :-														
<u>-</u>	कुआँ / नलकूप पर लगी हुई ईलेक्ट्रिक मोटर  हॉर्स पावर (hp)														
2	लगा हुआ डीज़ल इंजन  हॉर्स पावर (hp) पंप हेड ( पानी की गहराई ):  फीट														
ि पप हुड ( पाना का गहराइ ): फाट मोटर/पंप का आउट लेट (आउट लेट साइज़) मिलीमीटर (mm)															
पहले से उपलब्ध / आवेदन की गई सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के बारे मे जानकारी															
- ਜੁ	पंजीकरण नं सूक्ष्म सिंचाई				क्षेत्रफल		<b>क बार म जानका</b> फसल का नाम		सप्लायर कंपनी का अ		आवेदन		प्राप्त अनूदान		
या			प्रणाली का प्रकार <b>(ड्रिप/स्प्रिंकल</b>	, , ,	-	(हेकटर)				नाम		गया/ हुआ	_	(≦)	

6.0 जिस भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली वांछित (अपनान	१। चाहत) ह	: उसका	जानकारा
--	------------	--------	---------

गाँव : गाँव का कोड : विकास खण्ड : विकास खण्ड का कोड : जनपद : जनपद का कोड : राज्य : उत्तर प्रदेश
राज्य का कोड सुपी -

- 7.0 मै उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत निर्माता कंपनी का अपनी इच्छा से चयन करता हूँ ।
- 8.0 मैं उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा पंजीकृत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के आपूर्तिकर्ता फर्म के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव करता हूं और उनके द्वारा सर्वे होने के बाद उनके द्वारा निर्धारित मूल्य में स्वीकार्य होगा और उसके लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को निर्णय लेने के लिए अधिकृत करता हूँ ।
- 9.0 मै आवेदन पंजीकरण और त्रि-पक्षीय समझौते के लिए समय सीमा के संबंध में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर किए गए परिवर्तनों को स्वीकार करूँगा।
- 10.0 मुझे राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार मिलने वाले सबसिडी अनुदान मान्य होगा।
- 11.0 में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश और आपूर्तिकर्ता कंपनी के साथ त्रि-पक्षीय समजौता करने के लिए सहमत हूँ और त्रि-पक्षीय समजौता करते समय सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की कुल लागत में अनुदान के अतिरिक्त अन्य राशि जमा करने के लिए सहमत एवं बाध्य हूँ।
- 12.0 अगर मेरी ओर से आवेदन होने के 180 दिन के समय में त्रि-पक्षीय समजौता नहीं होता है और त्रि-पक्षीय समजौता होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 75 दिनों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना / आपूर्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी तो मेरा अभ्यर्थन नियमानुसार अपने आप निरस्त हो जाएगा। जो मुझे ज्ञात है और दुबारा इस योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए नए से मेरे पसंदीदा सप्लायर्स के माध्यम से आवेदन करूंगा। इस संबंध में विभाग द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह मुझे मान्य रहेगा।
- 13.0 मैं वचन देता हूँ की मैं मेरे खेत में स्थापित हुई सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को कम से कम 07 ( सात ) वर्ष तक कार्यरत रखूंगा और इसे किसी को हस्तांतरित या बेचूँगा नहीं। अगर इसका मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश के नियमानुसार अनुदान राशि की वापसी के लिए सहमत हू ।
- 14.0 मै योजनांतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली हेतु बैंक के माध्यम से ऋण प्राप्त करना चाहता हूँ ( हाँ / नही ) यदि हाँ तो बैंक का नाम शाखा
- 15.0 मैं उस बैंक शाखा से ऋण का समय पर पुनःभुगतान करने का वचन देता हूँ जिसे मुझे बैंक की नीति के आधीन ऋण
- 16.0 सरकार द्वारा मेरी इस आवेदन की जानकारी सरकारी वेबसाइट के माध्यम से प्रदर्शित करने की अनुमित देता हूँ।

मै घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है, यदि कोई भी विवरण असत्य पाया जाता है तो बिना कोई पूर्व सूचना या कारण बताए हमारा आवेदन निरस्त करने की अनुमति प्रदान करता हूँ।

दिनांक	किसान के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
स्थान	किसान का नाम
	गवाह के हस्ताक्षर नाम
	(अगर किसान के अंगूठे का निशान हो तो गवाह के हस्ताक्षर और नाम आवश्यक है )

## आवेदन के साथ कृषक द्वारा संलग्न किए जानेवाले सहायक दस्तावेजों की सूची

- 1. खतोनी, खसरा, फॉर्म नं. १६ (पानी पत्रक) की मूल नकल
- 2. आधार कार्ड की नकल प्राप्त।
- 3. आधारकार्ड से जुड़े बैंक खाते की नकल प्राप्त।
- 4. लघु सीमांत कृषक की दशा में शपथ पत्र।

- अगर संयुक्त खाता हो तो अन्य संयुक्त किसान की सहमित पत्र।
- 2. जिस बैंक से ऋण लेना चाहते हो तो उस बैंक की सहमति पत्र।

टिप्पणी :- 1. आवेदन फॉर्म - 1, सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति देना अनिवार्य है।
2.स्वेच्छानुसार आपूर्तिकर्ता कंपनी के साथ सर्वे डिज़ाइन करके अनुमित देनी होगी और ऋणी कृषक के मामले में क्रमांक नं 14 अनुसार
स्वेच्छीक बैंक मे आवेदन करने होगे जहां से बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र के साथ उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश में
आवेदन जमा करवाना होगा।

प्रति श्री, जिला उद्यान अधिकारी / अधीक्षक राजकीय उद्यान / आलू खं शाकभजी विकास अधिकारी, जनपद \_। उत्तर प्रदेश

वेब साइट :- https://uphorticulture.gov.in/